BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL,
ORIGINAL APPLICATION NO. 178/2025

IN THE MATTER OF:
LETTER PETITION TITLED 1242 VIRKSHON KI AVEDH KATAI AVAM RAJAY SHASAN KA SANRAKHSAN DATED 13TH OCTOBER 2025

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH &ORS. ....RESPONDENTS

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 17.01.2026		1-6
2.	Photographs taken during the inspection of the committee	**I**	7-12
3.	Panchnama prepared during the inspection Google Earth Imagery	**II**	13
4.	Copy of Preliminary Offence Reports issued by the Divisional Forest Officer (DFO), Narmadapuram Division	**III**	14-51
5.	Copy of Chief Conservator of Forests, Narmadapuram Letter No. 4736 dated 24/10/2025	**IV**	52-54
6.	Copy of Chief Conservator of Forests, Narmadapuram Letter No. I/699715/2025 dated 27/12/ 2025	**V**	55-59
7.	Copy of Chief Conservator of Forests, Narmadapuram Letter No. 97 dated 06/02/ 2026	**VI**	60-76
8.	Copy of Chief Conservator of Forests, Narmadapuram Letter No. 123 dated 19/02/ 2026	**VII**	77-79
9.	Copy of Beat reorganisation order dated 17.12.2025 paased by Chief Conservator of Forests, Narmadapuram	**VIII**	80-81

Date: 18.04.2026
Place: Bhopal

Submitted by MPPCB: -
through Counsel

Parul

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

Joint committee Inspection Report in Original Application No. 178/2025

That, Hon'ble NGT on dated 17.01.2026 in the matter of OA 178/2026 (CZ), Letter Petition Titled "1242 Virkshon Ki Avedh Katai Avam Rajay Shasan Ka Sanrakhsan" Dated 13th October, 2025 Vs State of Madhya Pradesh & Ors given following instructions –

1. *Shri Mukesh Gaikwad of Arjun Nagar, Hamlapur, Betul, Madhya Pradesh, has addressed a letter petition before this Tribunal highlighting the illegal cutting of 1242 trees in Chhipikhapa beet of Itarsi Zone under Narmadapuram Forest Division in Madhya Pradesh. The logs of cut trees were estimated to be worth cost of Rs.204,95770- 00 during an inspection dated 14.09.2025 of RF- 234 new (old RF112), RF 228 new (Old RF 113) and PF 241 new (Old PF-97). Logs of cut trees of a total of 1242 Sagon tree and 38 Satkata trees have been identified. But the said information was not made available by the Zonal officer Itarsi and complaint was not registered in Forest Offense Case No. 13636/94 which indicates that the said information of illegal cutting of trees in beet has been kept silent by local Forest department by simply taking punitive action against the lower staff.*
2. *With this letter petition, a report from the competent officer who enquired the matter has been attached who has found the illegal cutting of trees and loss to the tune of more than Rs.2,04,95,770/-.*

--------------X---------------X----------------------X--------------------X--------

3. *In exercise of suo motu jurisdiction, in view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Municipal Corporation of Greater Mumbai Vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401, the cognizance has been taken by this Tribunal*

-----------------X---------------------X-------------------X-------------------X---------------

9. *In view of the seriousness of the matter, we constitute a Joint Committee consisting the following members to visit the site and submit the factual and action taken report:-*

   (i) *One representative from the Principal Chief Conservator of Forest, Madhya Pradesh.,*

(ii) *One representative from the Principal Secretary, Department of Environment, Madhya Pradesh.,*

(iii) *One representative from the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Bhopal, M.P.,*

(iv) *One representative from the Integrated Regional Office, CPCB., Bhopal, M.P.,*

(v) *One representative from the Member Secretary, MPPCB, M.P.*

----------------X-------------------X-----------------X-----------------X--------------

As per the above order of Hon'ble NGT (CZ), a joint committee of following departments are constituted to visit the site and submit factual & action taken report:

Name of Department	**Name of representative**
One representative from the Principal Chief Conservator of Forest, Madhya Pradesh.,	Sh. Ashok Kumar, IFS, CCF Narmadapuram
One Representative from the Principal Secretary, Department of Environment, Madhya Pradesh.,	Dr. Dinesh Damde, Assistant Scientific Officer, EPCO, Bhopal, M.P.
One Representative from the *Integrated Regional Office, MoEF&CC, Bhopal, M.P.,*	Sh. Rajesh Dasrath Darade, Assistant Inspector General of Forest (Central)
One Representative from the *Integrated Regional Office, CPCB., Bhopal, M.P.,*	Sh. Milind Kumar Nimaje, Scientist "C" , RD, CPCB, Bhopal
One Representative from the *the Member Secretary, MPPCB, M.P.*	Regional Office, MPPCB, Mandideep, District-Rasien

That, in compliance with the order of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) dated17.01.2026; the Joint Committee reviewed the contents of the said order and deliberated upon the issues raised therein prior to conducting the inspection. Accordingly the joint committee of Sh. Ashok Kumar, IFS, CCF Narmadapuram, Sh. Rajesh Dasrath Darade,Assistant Inspector General of Forest (Central), Dr. Dinesh Damde, Assistant Scientific Officer, EPCO, Bhopal, M.P., Sh. Milind Kumar Nimaje, Scientist "C", RD, CPCB, Bhopal, Sh. Rajesh Patidar, Assistant Engineer, RO, MPPCB, Mandideep along with Shri Gaurav Sharma, DFO, Narmadapuram and

other forest department Narmadapuram officers visited the RF 234 and PF 241 of Chhipikhapa beet of Itarsi zone of Narmadapuram Forest Division as mentioned in the order. During the inspection, photographs and visual observations were duly recorded. The photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure–I.** During field visit panchanama was also prepared. Copy of panchanama is enclosed as **Annexure-II.**

A. FIELD OBSERVATIONS:

In compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the Joint Committee conducted a site inspection of part of RF 234 and PF 241 of Chhipikhapa beet of Itarsi zone of Narmadapuram Forest Division on dated 07.04.2026. The observations recorded during the inspection are as follows:

1. The committee travelled along the Itarsi–Betul road up to approximately 13 km from Itarsi, and thereafter proceeded towards Tawanagar. After covering about 12 km on a metalled forest road, the team further moved approximately 2–2.5 km on a kaccha road to reach forest compartment RF-234.

2. After visiting RF-234, the committee proceeded further in the same direction for approximately 2.5 km inside the forest and subsequently reached Chippikhapa village

3. On the way to Batkui village, approximately 1 km from Chippikhapa village, forest compartment PF-241 is located on south east of the village.

4. The committee observed stumps of trees that had been cut, which were found scattered over a vast area of the forest.
5. The height of the stumps was observed to range from a minimum of approximately 10 cm to about 3 feet above ground level. The diameter of the remaining stumps of the felled trees was found to be approximately 1–2 feet.

6. The logs of the felled trees were not found at the site. The forest department staff informed that the timber left behind by the offenders had already been transported to the depot by the department. The illicit felling have been carried out in a scattered manner across the forest area, rather than being confined to or concentrated at any specific location(s).

7. The forest department staff deputed at the site showed the committee the markings on the upper surfaces of the stumps of the felled trees, along with

the numbering and hammer mark inscribed on them. The department representatives informed that these stumps had been marked and numbered by the forest staff, indicating that a detailed enumeration had been carried out.

8. The committee observed that a sufficient number of trees, with heights of approximately 15–20 meters, are present in the forest. The compartments continue to exhibit high density even after the illegal felling, a condition that can also be corroborated through satellite imagery.

9. The Forest Department informed the committee that the period of illicit tree felling has been assessed by a State-level Flying Squad, and that the number of felled trees has also been enumerated by the squad.

10. Forest department official also shown the committee the the silvicultural measures undertaken in the form of stump dressing of the felled trees. It is observed that coppice shoots are coming out from the dressed stumps of the illigely felled trees.

B. SILVICULTURAL MEASURES CARRIED OUT TO REGENERATE AND REESTABLISH THE FOREST

The Forest Department informed the committee that stump dressing of illegally felled trees has been undertaken to facilitate regeneration of the forest through coppicing, as teak is a strong coppicer. The stumps of illegally felled trees are dressed by reducing their height to approximately 10–20 cm above ground level.

The advantages of such stump dressing are as follows:

- It facilitates better and more uniform regeneration and re-growth of trees through coppice from the remaining stump.
- Coppice shoots originating from points above ground are more susceptible to wind damage. In contrast, shoots emerging from buds below the soil level are sturdier, less prone to wind damage, and therefore have higher survival rates and better growth.
- The timber obtained from reducing stump height from 2–3 feet to 10–20 cm above ground can be utilized, thereby partially offsetting the losses incurred due to illegal felling.

C. ACTION TAKEN BY FOREST DEPARTMENT

The committee was informed by the Chief Conservator of the Forests (CCF), Narmadapuram Circle about the measures taken to strengthen the forest protection on the field, the search and seizure operations carried out and the actions taken at

the level of CCF and Divisional Forest Officer (DFO), Narmadapuram Division against the erring staff.

3.1 Action Taken by Divisional Forest Officer (DFO)

a. Action was taken against circle level flying squad members and the forest staff posted in that area for incorrect reporting of the actual number of trees illegally felled.
b. Actions were initiated against the forest staff at beat guards/forester/range officer/sub divisional officer level who reported incorrectly about their beat inspections of the concerned area during 2023 to 2025.
c. During extensive search and seizure operations various actions were taken. Preliminary Offence Reports issued are enclosed as **Annexure III**;
    i. On 27.09.2025, a pickup was seized during illegal transport of teak logs.
    ii. On 29.09.2025, a truck was seized which was transporting illegal timber.
    iii. 18 furniture marts and 2 saw mills were sealed for selling timber through illegal / unauthorized bills proving their involvement in selling of illegal timber stock accumulated from illegally felled trees.
    iv. On 19.11.2025, 815 teak logs were seized from Sehore district.

3.2 Action Taken by Chief Conservator of Forests (CCF)

a. The Report regarding inspection of Chhipikhapa beet of Itarsi range of Narmadapuram Forest Division submitted sent to PCCF, Van Bhawan Tulsi Nagar Bhopal intimating the details of Charge sheet issued against forest staff is mentioned. The CCF Narmadapuram letter No. 4736 dated 24/10/2025 is enclosed as **Annexure-IV.**
b. The Letter regarding charge sheet under All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 against Shri Mayank Singh Gurjar, IFS, Deputy Conservator of Forest sent to PCCF, Van Bhawan Tulsi Nagar Bhopal. CCF Narmadapuram letter No. I/699715/2025 dated 27/12/ 2025 is enclosed as **Annexure-V**.
c. The Letter regarding amended charge sheet for illegal cutting of trees in Chhipikhapa beat sent to PCCF, Van Bhawan Tulsi Nagar Bhopal. Copy of CCF Narmadapuram letter No. 97 dated 06/02/ 2026 enclosed as **Annexure-VI**.
d. Request to constitute joint department enquiry committee for disciplinary proceedings regarding illegally cutting of trees in Chhipikhapa beat of Itarsi range of Narmadapuram Forest Division sent to PCCF, Van Bhawan Tulsi Nagar Bhopal. The CCF Narmadapuram letter No.123 dated 19/02/2026 is enclosed as **Annexure-VII**.

4. Additional Ground-Level Preventive Measures:

To prevent recurrence and strengthen forest protection, the following measures have been implemented:

- ✓ Regular night patrolling is being carried out in the affected area.
- ✓ Additional staff has been deployed specifically for security and monitoring and a temporary protection camp / watch tower has been established in RF-234 in the beat, which was seen by the committee .
- ✓ Temporary night barriers (check points) have been established on all probable access routes around the beat to control illegal movement.
- ✓ Due to the large geographical area of Beat Chhipikhapa, the beat has been reorganized and divided into smaller beats from a management perspective to ensure better supervision, accountability, and effective monitoring. Copy of Beat reorganisation order is enclosed as **Annexure-VIII**

(Rajesh Dasrath Darade)
Assistant Inspector General of Forest (central)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office (Western Zone)
Bhopal 462016

(Ashok Kumar)
IFS,CCF
Narmadapuram

(Milind Kumar Nimaje)
Scientist "C"
RD, CPCB, Bhopal

17/04/2026
(Dr. Dinesh Damde)
Assistant Scientific Officer,
EPCO, Bhopal

(Rajesh Patidar)
Assistant Engineer
RO, MPPCB, Mandideep, Distt. Raisen

Annexure- 01

Photographs of Joint Committee Visit on Dated 07/04/2026

28

Latitude: 22.576682
Longitude: 77.923230
Elevation: 379.86±3.00 m
Accuracy: 3.54 m
Time: 07-04-2026 13:42:34
Note: Chippikhapa beet forest ,Narmadapuram
NoteCam @ iOS

Latitude: 22.576829
Longitude: 77.922939
Elevation: 379.20±3.00 m
Accuracy: 3.54 m
Time: 07-04-2026 13:40:51
Note: Chippikhapa beet forest , Narmadapuram
NoteCam @ iOS

Latitude: 22.591332
Longitude: 77.923862
Elevation: 353.45±3.00 m
Accuracy: 3.44 m
Time: 07-04-2026 14:31:56
Note: Chippikhapa beet forest , Narmadapuram
NoteCam @ iOS

30

Latitude: 22.590722
Longitude: 77.923952
Elevation: 362.72±6.00 m
Accuracy: 3.54 m
Time: 07-04-2026 14:34:00
Note: Chippikhapa beet forest ,Narmadapuram
NoteCam @ iOS

31

Latitude: 22.590690
Longitude: 77.923923
Elevation: 356.27±3.00 m
Accuracy: 3.53 m
Time: 07-04-2026 14:35:19
Note: Chippikhapa beet forest Narmadapuram
NoteCam @ iOS

32

Latitude: 22.590683
Longitude: 77.923928
Elevation: 355.45±3.00 m
Accuracy: 3.23 m
Time: 07-04-2026 14:35:26
Note: Chippikhapa beet forest , Narmadapuram
NoteCam @ iOS

Annexure- 02

33

पंचनामा

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 178/2025 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 17/01/2026 के पालनार्थ आदेश में वर्णित संयुक्त समिति एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक 07/04/2026 मंगलवार को बीट छीपीखापा के कक्ष क्र. RF 234 एवं PF 241 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान क्षेत्र में कटे वृक्षों के ठूंठ देखे गये। पंचनामा मौके स्थल पर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में तैयार किया गया।

[signature]
Ashok Kumar
CCF, Narmadapuram.

[signature]
Rajesh D. Darade.
AIGF RO (Bhopal)

[signature]
[illegible]
~~नरेन्द्र कुमार [illegible]~~

[signature]
Vimlesh Ku.
[illegible] F.G.
Chhipikhapa
(G-2)

राजेश पाटीदार, A.E. MPPCB [signature] 07/04/26

[illegible] SE CPCB, Bhopal.

[signature] (DFO)
GAURAV SHARMA

Dr. Dinesh Damde ASO, Representative Environment Dept.
[signature]
7/4/2026

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808) E-Mail dfot.hbd@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/ 105 नर्मदापुरम, दिनांक 05 /01/2026

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल सीहोर सामान्य

विषय :- वनमंडल सीहोर अंतर्गत परिक्षेत्र बुदनी के ग्राम खेरी–सिगलेना स्थित योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट पर अवैध रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन के भंडारण संबंध में की गई तलाशी, जप्ती कार्यवाही की विस्तृत सूचना।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मुखबिर द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर वनमण्डल नर्मदापुरम सामान्य अंतर्गत् परिक्षेत्र इटारसी परिसर छीपीखापा में हुई वृहद स्तर पर कटाई से प्राप्त काष्ठ का भण्डारण आपके वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बुदनी के ग्राम खेरी–सिगलेना स्थित "योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट" में किया गया है, तथा फर्जी बिलों के माध्यम से अवैध फर्नीचर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। सूचना के अनुसार अवैध रूप से सागौन नर्मदापुरम् क्षेत्र से लाकर उक्त फर्नीचर मार्ट में भंडारित कर फर्जी बिल–बुक के आधार पर फर्नीचर निर्माण कर अवैध व्यापार किया जा रहा था।

सूचना प्राप्त होने पर मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त नर्मदापुरम व भोपाल के निर्देशानुसार तथा आपसे हुई चर्चा अनुसार वनमण्डल नर्मदापुरम् से उड़नदस्ता दल व स्टॉफ, आपके वनमण्डल अंतर्गत स्थानीय स्टाफ, ग्राम खेरी–सिगलेना का ग्राम कोटवार एवं पटवारी (राजस्व अमला), थाना शाहगंज जिला सीहोर का पुलिस स्टाफ की संयुक्त दल गठित कर घटना स्थल पर भेजा गया।

निरीक्षण दल को अवैध वनोपज के भंडारण एक से अधिक स्थलों पर होने तथा प्रकरण की गोपनीयता को देखते हुए आपके वनमण्डल से नियम अनुसार सर्च वारंट प्राप्त किया गया। तलाशी से पूर्व फर्नीचर मार्ट के स्वामी को सर्च वारंट विधिवत तामील कराया गया।

तलाशी के दौरान फर्नीचर मार्ट में वृहद स्तर पर सागौन चरपट का भंडारण पाया गया। उक्त वनोपज के संबंध में फर्नीचर मार्ट के मालिक द्वारा कोई वैध बिल, कोई खरीदी बिक्री दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पृथम दृष्टया अवैध कटाई से प्राप्त सागौन से निर्मित चरपट पर किसी प्रकार पर किसी प्रकार का वैध हैमर निशान नहीं पाया गया। स्थल पर नकली बिल-बुक भी पाई गई जिन्हें नियम अनुसार जब्त कर लिया गया। इससे संकेत मिलता है कि कई घन मीटर अवैध सागौन से फर्नीचर निर्माण कर बिक्री का अवैध व्यापार किया जा रहा था।

फर्नीचर मार्ट के अन्य स्थलों पर भी अवैध भण्डार तलाशी के पश्चात फर्नीचर स्वामी श्री गोविंद सिंह चौहान पिता मंगल सिंह चौहान के फर्नीचर मार्ट के अतिक्त उनके तथा उनके पिता के स्वामित्व वाले दो अन्य स्थानों पर भी अवैध चिरान सागौन भंडारित पाई गई।

नियम अनुसार दोनों स्थलों की भी तलाशी ली गई तथा वहाँ संधारित विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन अवैध रूप से संग्रहीत पाई गई, जिसे उड़नदस्ता दल वृत्त नर्मदापुरम् द्वारा नियमानुसार जप्त किया गया। जप्ती की कार्यवाही स्थानीय कोटवार एवं पटवारी की उपस्थिति में की गई। सम्पूर्ण जब्ती प्रक्रिया के दौरान प्रोप्राइटर स्वयं मौके पर उपस्थित रहा तथा उसने अवैध रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन भंडारण करने के कृत्य को स्वीकार किया।

जप्ती का विवरण निम्नानुसार है :-

कुल नग चरपट	घ.मी.	मूल्य
814	15.255	1108148

मुखबिर अनुसार वनमण्डल नर्मदापुरम में हुई अवैध कटाई से प्राप्त काष्ठ से निर्मित सागौन चरपट का उपयोग करने के कारण वनमण्डल नर्मदापुरम में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा काष्ठ जप्त की गई है। चूंकि फर्नीचर मार्ट का रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 11 के अंतर्गत किया जाता है। अतः फर्नीचर मार्ट पर अवैध भंडारण हेतु कार्यवाही करने में आप सक्षम अधिकारी है। आज दिनांक को मुखबिर से प्राप्त सूचना अनुसार 3 पिकअप सागौन काष्ठ उक्त फर्नीचर मार्ट पर अनलोड की गई है तथा वर्तमान में फर्नीचर मार्ट चालू है। फर्नीचर मार्ट पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन संप्रेषित है।

5/1/26

वनमंडलाधिकारी

o/c सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम

पृष्ठां. क्रमांक/संरक्षण/ 106 नर्मदापुरम, दिनांक 05 /01/2026

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य वनसंरक्षक वनवृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- मुख्य वनसंरक्षक वनवृत्त नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808) E-Mail dfot.hbd@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/ 255 नर्मदापुरम, दिनांक 06 /01/2026

प्रति,

श्री गोविंद सिंह चौहान
योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट, खैरी सिलगेना
तहसील बुधनी जिला सीहोर(म0प्र)

विषयः- दिनांक 12/01/2026 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बावत्।
संदर्भः- आपका आवेदन दिनांक 27/12/2025।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 19/11/2025 को वन विभाग के द्वारा आपके फर्नीचर मार्ट का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में अवैध रूप से भंडारित काष्ठ की विधि अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई है। उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12/01/2026 नियत है। नियत तिथि में समय 11.00 बजे वनमंडल कार्यालय नर्मदापुरम में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) वन परिक्षेत्र नर्मदापुरम्

E-mail :- rothoshangabad @mp.gov.in Phone No. – 9424792029

क्रमांक / नर्मदापुरम् दिनांक / 11/2025

प्रति,

उप वनमंडलाधिकारी,
उप वनमंडल (सा.) सीहोर

विषय :– सर्च वारंट की तामीली के संबंध में ।
संदर्भ :– सर्च वारंट क्रमांक 4862 दिनांक 19.11.2025 सीहोर।

–000–

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उपरोक्त आदेश अनुसार सर्च वारंट के प्रालन में दिनांक 19.11.2025 को गोविंदसिह चौहान पिता मंगलसिह चौहान निवासी ग्राम खेरी सिलगेना तहसील बुदनी जिला सीहोर के योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट एंव दो मकान में तलासी ली गई तलासी के दौरान अवैधरूप से संग्रहित सागौन चरपट/चिरान बगैर हेमर नम्बर की एंव बगैर बिल/टी.पी. की पाई जाने पर 814 नग – 15.255 घ.मी. की जप्ती कर वन अपराध प्रकरण 13748/88 दिनांक 19.11.2025 को अरोपी गोविंद चौहान पिता मंगलसिह चौहान के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया ।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है ।

संलग्नः– सर्च वारंट पावती की छायाप्रति ।

Divisional Forest Office No 7296 Dt 27/11/25 Narmadapuram

वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सा0) नर्मदापुरम

प्रतिलिपि :– 874 नर्मदापुरम, दिनांक 26/11/2025

1. श्रीमान वनमंडल अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. श्रीमान उप वनमंडल अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सा0) नर्मदापुरम

DFO
Narmadapuram

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी महोदय,

सा. वनमण्डल कार्यालय नर्मदापुरम मध्य प्रदेश

विषय :- योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट खेरीसिलगेना तहसील बुधनी जिला सिहोर में की गई कार्यवाही को स्थागित रखने के संबंध में -

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।

महोदय जी -

निवेदन है कि पत्र क्रमांक/F-6/1/4/0056/2025-SEC-2-10 (FOR) दिनांक 17/02/2025 पत्र का अवलोकन करें जिसमें दिनांक 19/11/2025 में विभाग द्वारा फर्नीचर मार्ट पर की गई कार्यवाही निरक्षण के दौरान गोदाम पर रखी लकड़ी को रेंज ले गए हैं। यह जो लकड़ी है वह जिन किसानों से ली गई है उनकी सूची इसमें संलग्न है।

स्थान - नर्मदापुरम

दिनांक - 27/12/2025

प्रार्थी

गोविन्द सिंह चौहान

Divisional Forest Officer Narmadapuram No. 19058 Dt. 30/12/25

संरक्षण

सुनवाई हेतु दि. 12.1.26 की तिथि निर्धारित करें।

ML 1.1.26

DFO
(T) Narmadapuram

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/F-6/1/4/0065/2025-Sec-2-10(FOR) भोपाल, दिनांक **17-12-2025**

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के चलते ग्राहकों के निजी उपयोग की लकड़ी के अकारण उठाव पर संज्ञान लेकर लकड़ी को छोड़े जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक **17.12.20215.**

विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/ श्री गोविन्द सिंह चौहान, संचालक योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट, तहसील बुधनी जिला सीहोर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक **19.11.2025** को वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा फर्नीचर दुकान पर निरीक्षण के दौरान गोदाम में रखी सागौन लकड़ी रेंज कार्यालय ले गये। विभाग द्वारा वैधानिक प्रक्रिया नहीं की गई न कोई नोटिस/पत्राचार नहीं किया गया।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 17-12-2025
17:05:39

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के विनिर्माता / व्यापारी / उपभोक्ता के रूप मे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

प्रारूप "क"

पंजीयन क्रमांक - 092300053

पूर्व पंजीयन क्रमांक - 092300053

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स YOGESHWARI FURNITURE MART / श्री श्री गोविन्द सिंह चौहान, आत्मज/ आत्मजा मंगल सिंह चौहान , निवासी ब्लॉक - बुधनी, पंचायत - खेरी सिलगेना , ग्राम - खेरी सिलगेना , पता - MAIN ROAD , पिन कोड - 466448, थाना- BUDNI , जिला - सीहोर , थाना- BUDNI, जिला- Sehore को मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के विनिर्माता तथा उपभोक्ता के रूप में वर्ष 2024 से 2026 के लिये रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

विनिर्माता तथा उपभोक्ता के लिये व्यवसाय में प्रतिवर्ष विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की अनुमानित मात्रा लगभग 10 घ.मी. है जो निम्नलिखित स्थानों में संग्रहित है - VILLAGE KHERI SILGENA TEHSIL BUDNI DIST SEHORE MP

कार्यालय की मुद्रा

Magan Singh Dawar

Digitally signed by Magan Singh Dawar
Date: 2025.05.02 17:30:03 +05'30'

खंडीय वन आफिसर

खंड : सीहोर

दिनांक :5/17/2024 9:08:37 AM

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी सामान्य

M0.No. (9427492032) E-Mail RotItarsi@mp.gov.in

क्रमांक / 3010 इटारसी दिनांक 8/10/2025

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी एवं

उप वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम

विषयः– वन अपराध प्रकरण क्रमाक 17002/06 दिनांक 30.09.2025 रेंज केश क्रमांक 185/2025 में जप्त वाहन टाटा EX709 Turbo पंजीयन नंबर MP09GE8027 चेचिस नंबर U025QZ607674 इंजन नंबर FQZ-8-21113 को राजसात करने बावत्।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 30.09.2025 को मुखिबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नया सांकई के पास एक कच्ची सड़क पर एक मिनी ट्रक खड़ा है। सूचना प्राप्त होते ही परिक्षेत्र सहायक जमानी अपने वन अमले को लेकर मौके पर पॅहुचे वहा देखा कि एक वाहन टाटा EX709 Turbo पंजीयन नंबर MP09GE8027 लवारिस अवस्था में खड़ा था। जिसमें पापड़ा प्रजाति की वनोपज भरी हुई थी। ट्रक में एंव उसके आस–पास कोई व्यक्ति नही था। मिनी ट्रक के पहिए कीचड़ में फसे हुये थे। मौके पर मनोज उइके निवासी ग्राम बाबई एवं सरवन काकोडिया निवासी झालई की ट्रैक्टर ट्राली बुलाकर ट्रक में रखी हुई वनोपज को उपपरिक्षेत्र जमानी मुख्यालय पर परिवहन किया गया। वाहन टाटा मिनी ट्रक का RTO नंबर MP09GE8027 वाहन के डाले पर लिखा पाया गया, चेचिस नंबर U025QZ607674 पाया गया। मिनी ट्रक को उपपरिक्षेत्र जमानी मुख्यालय लाया गया। वनोपज का नाप जोक कर वन अमले द्वारा जप्त किया जिसमे सतकटा वनोपज 251 नग = 3.478 घ.मी., राशि 22232.00 पाई गई। जिसके फलस्वरूप जप्ती की नियमानुसार कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण कमांक 17002/06 दिनांक 30.09.2025 मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 के तहत अज्ञात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अतः जप्त वाहन की नियमानुसार राजसात की कार्यवाही करने की कृपा करें।

1	राजसात की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति का वर्णन	1. वाहन टाटा EX709 Turbo पंजीयन नंबर MP09GE8027 चेचिस नंबर U025QZ607674 इंजन नंबर FQZ-8-21113
2	राजसात की जाने वाली संपत्ति के मालिक की पूरी विशिष्टया	अज्ञात कार्यालीन पत्र क्रमांक 2980 दिनांक 06.10.2025 द्वारा आर.टी.ओ. नर्मदापुरम को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया।
3	उस व्यक्ति का नाम जिसके कब्जे से सम्पत्ति जप्त की गई।	अज्ञात
4	संपत्ति को जप्त करने की तारीख समय स्थान	दिनांक 30.09.2025 ग्राम नया सांकई के पास एक कच्ची सड़क पर
5	जप्त वनोपज का विवरण	वनोपज सतकटा 251 नग = 3.478 घ.मी. राशि 22232.00 अवैध रूप से परिवहन करने पर
6	उस अधिकारी का नाम जिसके द्वारा संपत्ति जप्त की गई	श्री बंटी राजा बुंदेला वनरक्षक ,परिसररक्षक जमानी
7	अधिनियम की धारा	मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5
8	जप्त संपत्ति का मूल्य	100000.00 (लगभग)
9	अपराधों की विशिष्टियां जिनके कारण जप्त की गई	दिनांक 30.09.2025 को मुखिबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नया सांकई के पास एक कच्ची सड़क पर एक मिनी

		ट्रक खड़ा है। सूचना प्राप्त होते ही परिक्षेत्र सहायक जमानी अपने वन अमले को लेकर मौके पर पँहुचे वहा देखा कि एक वाहन टाटा EX709 Turbo पंजीयन नंबर MP09GE8027 लवारिस अवस्था में खड़ा था । जिसमें पापड़ा प्रजाति की वनोपज भरी हुई थी । ट्रक में एंव उसके आस–पास कोई व्यक्ति नही था । मिनी ट्रक के पहिए कीचड़ में फसे हुये थें। मौके पर मनोज उइके निवासी ग्राम बाबई एवं सरबन काकोडिया निवासी झालई की ट्रैक्टर ट्राली बुलाकर ट्रक में रखी हुई वनोपज को उपपरिक्षेत्र जमानी मुख्यालय पर परिवहन किया गया । वाहन टाटा मिनी ट्रक का RTO नंबर MP09GE8027 वाहन के डाले पर लिखा पाया गया, चेचिस नंबर U025QZ607674 पाया गया । मिनी ट्रक को उपपरिक्षेत्र जमानी मुख्यालय लाया गया। वनोपज का नाम जोक कर वन अमले द्वारा जप्त किया जिसमे सतकटा वनोपज 251 नग = 3.478 घ.मी. राशि 22232.00 पाई गई । जिसके फलस्वरूप मौके पर जप्ती की नियमानुसार कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण कमांक 17002/06 दिनांक 30.09.2025 मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 के तहत अज्ञात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

संलग्नः– प्रकरण की सत्यापित प्रति पेज क्रमांक 01 से 19 तक

वन परिक्षेत्र अधिकारी
इटारसी (सा0)

पृष्ठा. क्र/ 3011
प्रतिलिपि :–

इटारसी दिनांक 8/10/2025

1. वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इटारसी जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. थाना प्रभारी पथरौटा जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
इटारसी (सा0)

9C

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी सामान्य

M0.No. (9427492032) E-Mail RotItarsi@mp.gov.in

क्रमांक / 3008 इटारसी दिनांक 8/10/2025

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी एवं

उप वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम

विषयः– वन अपराध प्रकरण क्रमाक 17004/11 दिनांक 27.09.2025 रेंज केश क्रमांक 177/2025 में जप्त वाहन महेन्द्रा पिकअप पुरानी बिना नंबर वाहन मॉडल बोलेरो SCXLUB चेचिस नंबर ZN2GHKC1J68114 इंजन नंबर GHC1142713 की वाहन को राजसात करने बावत्।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 27.09.2025 को मुखिबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नाले मोहल्ले में एक सफेद रंग की महेन्द्रा पिकअप बिना नंबर की लकड़ी से भरी हुई खड़ी है। मुखबिर की सूचना पर वन चौकी प्रभारी बागदेव द्वारा वन अमले के साथ मौके पर पँहुच कर देखा कि बिना नंबर की महेन्द्रा पिकअप लकडी से भरी खड़ी है। गाड़ी पर कोई व्यक्ति नही मिला। मौके पर जप्ती की नियमानुसार कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण कमांक 17004/11 दिनांक 27.09.2025 मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (ग) के तहत अज्ञात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अतः जप्त वाहन की नियमानुसार राजसात की कार्यवाही करने की कृपा करें।

1	राजसात की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति का वर्णन	वाहन मॉडल बोलेरो SCXLUB चेचिस नंबर ZN2GHKC1J68114 इंजन नंबर GHC1142713
2	राजसात की जाने वाली संपत्ति के मालिक की पूरी विशिष्टया	अज्ञात कार्यालीन पत्र कमांक 2911 दिनांक 29.09.2025 द्वारा आर.टी.ओ. नर्मदापुरम को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया।
3	उस व्यक्ति का नाम जिसके कब्जे से सम्पत्ति जप्त की गई।	अज्ञात
4	संपत्ति को जप्त करने की तारीख समय स्थान	दिनांक 27.09.2025 नाला मोहल्ला इटारसी
5	जप्त वनोपज का विवरण	वनोपज सागौन 3 नग = 0.824 घ.मी. राशि 92637.00 अवैध रूप से परिवहन करने पर
6	उस अधिकारी का नाम जिसके द्वारा संपत्ति जप्त की गई	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का.उ.व.क्षे प्रभारी वन चौकी बागदेव
7	अधिनियम की धारा	मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (ग)
8	जप्त संपत्ति का मूल्य	300000.00 (लगभग)
9	अपराधों की विशिष्टियां जिनके कारण जप्त की गई	दिनांक 27.09.2025 को मुखिबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नाले मोहल्ले में एक सफेद रंग की महेन्द्रा पिकअप बिना नंबर की लकड़ी से भरी हुई खड़ी है। मुखबिर की सूचना पर वन चौकी प्रभारी बागदेव द्वारा वन अमले के साथ मौके पर पँहुच कर देखा कि बिना नंबर की महेन्द्रा पिकअप लकडी से भरी खड़ी है। गाड़ी पर कोई व्यक्ति नही मिला। मौके पर जप्ती की नियमानुसार कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण कमांक 17004/11 दिनांक 27.09.2025

		मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (ग) के तहत अज्ञात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । अतः जप्त वाहन की नियमानुसार राजसात की कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्नः– प्रकरण की सत्यापित प्रति पेज क्रमांक 01 से 05 तक

वन परिक्षेत्र अधिकारी
इटारसी (सा0)

पृष्ठा. क्र/ 3009 इटारसी दिनांक 6/10/2025

प्रतिलिपि :–

1. वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इटारसी जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. थाना प्रभारी इटारसी जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
इटारसी (सा0)

O/C

मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र..)

द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 1932 नर्मदापुरम, दिनांक 26-9-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत नर्मदापुरम सामान्य परिक्षेत्र में वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के आदेश अनुसार श्री हसीद खान कार्यवाहक वनपाल एवं श्री रंजीत सल्लाम वनरक्षक द्वारा आज दिनांक 26/09/2025 को न्यू शारदा फर्नीचर मार्ट मालाखेड़ी नर्मदापुरम का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में स्टाक रजिस्टर, बिल बुक से मौके पर सागौन काष्ठ का एवं लेखा जोखा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई।

अत: उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 05, 07 एवं 15 एवं म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05एवं18 के तहत न्यू शारदा फर्नीचर मार्ट मालाखेड़ी नर्मदापुरम को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल
नर्मदापुरम, दिनांक 26-9-2025

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 10322

प्रतिलिपि :—
1) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम।
3) न्यू शारदा फर्नीचर मार्ट मालाखेड़ी नर्मदापुरम द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

O/C 26/9/25

दिनांक :- 26-09-2025
स्थान :- न्यु शारदा फर्नीचर मार्ट, मालखेड़ी

पंचनामा

हम अधोहस्ताक्षर कर्ता पंचगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज दिनांक 26/09/2025 को श्रीमान वनमण्डल अधिकारी नर्मदापुरम सामान्य के आदेशानुसार श्री हलीम खान कार्यवाहक व०पा० एवं रंजीत सलनाम क०र० मालाखेड़ी नर्मदापुरम स्थित न्यु शारदा फर्नीचर मार्ट पर जाँच हेतु पहुँचे। मौके पर फर्नीचर मार्ट के मालिक श्री अधिपति यादव से फर्नीचर मार्ट से संबंधित लाइसेंस, बिल पंजी, आवक जावक, विक्रय पंजी एवं टी.पी. की जांच की गई। मौके पर जांच में स्टाक रजिस्टर अभिलेख संधारित फर्नीचर मार्ट के मालिक द्वारा नहीं किये गये मौके पर लाइसेंस जाकर न्यु शारदा फर्नीचर मार्ट दुकान का देखा गया जो कि पंजीयन क्र. 252400227 दिनांक 17-02-2025 को वर्ष 2025 से 2027 तक नवीनीकरण पाया गया। मौके पर फर्नीचर मार्ट का रिकार्ड जिसमें स्टाक रजिस्टर बिल बुक मौके पर सागौन काष्ठ का मिलान किया जो असत्य पाया गया। तदोपरांत वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश लेने उपरांत उक्त फर्नीचर की समस्त वीडियोग्राफी कर सीलबंद किया गया।

मौका पंचनामा लिखा एवं सभी को पढ़कर सुनाया गया इसके बाद सभी पंचों ने अपने अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अपने पूर्ण होशोहवास में किये। पंचनामा लिखा सो सही पाया गया जो कि वक्त मौके पर काम आये।

हस्ताक्षर पंचगण

(1) [signature]

(2)

(3) [signature] अ०भा०वैरासी उ०व०क्षे०

फर्नीचर मार्ट संचालक
अधिपति यादव

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।
[signature]
रंजीत सलनाम
व.र.

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा
हलीम खान
कार्य. वाहक व०पा०

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.)
द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 2308 नर्मदापुरम, दिनांक 24-11-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में वनमण्डल अधिकारी नर्मदापुरम (सामान्य) के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी एवं अन्य स्टाफ द्वारा आज दिनांक 24/11/2025 को रिषि इण्डस्ट्रीज खेड़ा इटारसी का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में स्टाक रजिस्टर बिल बुक से मौके पर सागौन काष्ठ का एवं लेखा-जोखा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत रिषि इण्डस्ट्रीज खेड़ा इटारसी पंजीयन नंबर 242200019 को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 12501 नर्मदापुरम, दिनांक 24-11-2025

प्रतिलिपि :–
1.) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी।
3.) रिषि इण्डस्ट्रीज खेड़ा इटारसी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
OIC नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

स्थान – ग्रथिव इण्डस्ट्रीज खेड़ा इटारसी

पंचनामा

दिनांक – 24/11/2025

हम पंचगण इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 24.11.25 श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय नर्मदापुरम सा० के निर्देशन में श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी सा० वन अमला इटारसी के द्वारा ग्रथिव इण्ड स्ट्रीज खेड़ा इटारसी पहुँचे। एवं ग्रथिव इण्डस्ट्रीज के मालिक श्री मोहन खण्डेलवाल के साथ इण्डस्ट्रीज का मौका मुआयना एवं निरीक्षण कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखो एवं दस्तावेजो पूर्ण संधारित नहीं पाए जाने पर ग्रथिव इण्डस्ट्रीज खेड़ा इटारसी को सील बंद किया गया। एवं अभिलेखो की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया एवं समझाइश दी गई। एवं सील खुलने तक ग्रथिव इण्डस्ट्रीज खेड़ा को बंद रहने की समझाइश दी गई। मौका स्थल पर मौके का पंचनामा बनाया पढ़ा, पढ़कर सुनाया बाद सभी पंचो द्वारा हस्ताक्षर किये गये जो वक्त मौके पर काम आवे।

हस्ताक्षर पंचगण

1. Mohan
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]
5. [signature]
6. [signature] लक्ष्मी कालोरिया व.र.
7. [signature] राधेश्याम

[signature]

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

[signature]

श्रीमति पूजा आरसे व०र०

①

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र..)

द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 1931 **नर्मदापुरम, दिनांक** 26-9-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत नर्मदापुरम सामान्य परिक्षेत्र में उप वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशन में श्री महिपाल सिंह ठाकुर वनपाल एवं श्री सुरेन्द्र तेम्रवाल वनरक्षक परिक्षेत्र सामान्य नर्मदापुरम द्वारा आज दिनांक 26/09/2025 को शारदा फर्नीचर मार्ट (कमला हाईटेक) छोटी पहाडिया नर्मदापुरम का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में स्टाक रजिस्टर अनुसार 11.971 घ.मी. शेष लिखा पाया किन्तु मौके पर 4.75 घ.मी. सागौन चिरान पाई गई निरीक्षण के दौरान फर्नीचर मार्ट के अभिलेखों का परीक्षण किया गया जिसमें फर्नीचर मार्ट से संबंधित लेखा जोखा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 05, 07 एवं 15 एवं म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05एवं18 के तहत शारदा फर्नीचर मार्ट (कमला हाईटेक) छोटी पहाडिया नर्मदापुरम को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 1032 नर्मदापुरम, दिनांक 26-9-2025

प्रतिलिपि :— 1) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।

2) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम।

3) शारदा फर्नीचर मार्ट (कमला हाईटेक) छोटी पहाडिया नर्मदापुरम नर्मदापुरम द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

26/9/25

स्थान – शारदा फर्नीचर मार्ट नर्मदापुरम
छोटी पथाडिया

(2)

पंचनामा

दिनांक – 26/09/2025

हम नीचे लिखे हस्ताक्षर करने वाले पंचगण इस बात की तस्दीक करते है कि आज दिनांक 26/09/2025 को श्रीमान् उप वन मंडलाधिकारी महोदय जी नर्मदापुरम सामान्य के निर्देशन में महिपाल सिंह ठाकुर वनपाल एवं सुरेन्द्र सेमवाल वनरक्षक के द्वारा शारदा फर्नीचर मार्ट कमला साइकिल नर्मदापुरम जिसका पंजीयन क्रमांक 24190003 9 दिनांक 13/02/2025 है। जिनकी फर्नीचर मार्ट की जाँच की गई जाँच मे स्टाक रजिस्टर अनुसार 11.971 घन मीटर शेष लिखा पाया गया मौके पर 4.75 घ.मी. सागौन चिराने वाई गई फर्नीचर मार्ट से संबंधित लेखा जोखा का मिलान सही नही पाया गया श्रीमान उप वन मंडलाधिकारी नर्मदापुरम के आदेशानुसार स्टाक लेखा [illegible] पेज बुक क्रमांक 153 से 184 तक जारी 185 से 200 तक कोरी T.P क्रमांक 1283/50 दिनांक [illegible] 2023, 1290/38 दि० 14/08/2023, ~~4593/62~~ दि० 1298/17 दि० 21/09/23, 1297/48 दि 10/10/23, 1299/09 दि 18/10/23, 1303/01, दि. 14/12/2023, 1303/28 दि० 28/12/23, 1304/22 दि० 19/02/2024, 1317/06 दि 30/08/2024, 1327/07 दि० 18/02/2025, 0236/19 दि० 31/05/2025 रिकार्ड जप्त कर शारदा फर्नीचर मार्ट बंद कर ताला लगाया गया।

मौके का पंचनामा लिखा पढ़ा पढ़कर सुनाया सही पाया बाद हस्ताक्षर किये जो सही समय पर काम आवे।

पंचगण के हस्ताक्षर

1) ओमप्रकाश रघुवंशी [signature]

2) प्रदीप [signature]

3) सुरे. सेमवाल व.र. – [signature]

4) [signature] शारदा प्रसाद

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया
[signature]
महिपाल सिंह ठाकुर
वनपाल

(20)

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.)
द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 2487 **नर्मदापुरम, दिनांक** 16-12-25

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी (सामान्य) के निर्देशानुसार श्री भगत सिंह उईके कार्यवाहक उप वनक्षेत्रपाल एवं अन्य स्टाफ द्वारा आज दिनांक 12/12/2025 को सांई फर्नीचर मार्ट पुरानी इटारसी का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में फर्नीचर मालिक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में त्रुटि, भिन्नता एवं अनियमितता पाई गई।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत सांई फर्नीचर मार्ट पुरानी इटारसी पंजीयन नंबर 241900143 को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
O/c **वनमंडलाधिकारी**
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 13332 **नर्मदापुरम, दिनांक** 16-12-25

प्रतिलिपि :-
1.) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी ।
3.) सांई फर्नीचर मार्ट पुरानी इटारसी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
O/c **नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल**
16/12/2025

(22)

पंचनामा

दिनांक: 12/12/2025
स्थान :- साई फर्नीचर
मार्ट, पुरानी इटारसी

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता पंचगण इस बात की सही-सही पुष्टि करते हैं कि आज दिनांक 12/12/2025 को श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी इटारसी सामान्य के मौखिक आदेश के परिपालन में पुरानी इटारसी स्थित साई फर्नीचर मार्ट पर श्री भगत सिंह उइके कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल के हमराह बंटी राजा बुंदेला वनरक्षक पहुँचे। मौके पर साई फर्नीचर मार्ट के मालिक श्री कमलेश मालवीय की उपस्थिति में साई फर्नीचर मार्ट को श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी इटारसी सा. के निर्देशानुसार ताला लगाकर मुहर सील किया गया। उक्त कार्यवाही फर्नीचर मार्ट मालिक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में भिन्नता एवं अनियमितता पाए जाने के कारण की गई।

पंचनामा मौके पर लिखा, पढ़ा, सही पाया बाद हस्ताक्षर किए।

[signature]

पंचगण के हस्ताक्षर

(1) कमलेश
फर्नीचर मार्ट मालिक

(2) Rick [illegible] [signature]

(3) [signature]

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया
बंटी राजा बुंदेला
व.र.

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया
[signature]
[illegible]

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 1996 नर्मदापुरम, दिनांक 15-10-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत नर्मदापुरम सामान्य परिक्षेत्र में वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी नर्मदापुरम/प्रभारी वनवृत्त उड़नदस्ता दल द्वारा आज दिनांक 15/10/2025 को स्नेहा फर्नीचर मार्ट चक्कर रोड मालाखेड़ी नर्मदापुरम का मौका निरीक्षण किया गया। फर्नीचर दुकान की जांच में सागौन के 6 पल्ले, दरवाजे की 3 फ्रेम, कटर मशीन लगी हुए पाई गई एवं गोकुलधाम कालोनी नर्मदापुरम के सामने संतोष यादव के मकान में बनी दुकान पर सागौन चिरान पटिया 29 नग 0.132 घ.मी जप्त किया गया, चिरान पर कोई हेमर निशान नहीं पाया गया पटिया ताजे व गीले पाए गए।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 05, 07 एवं 15 एवं म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत स्नेहा फर्नीचर मार्ट चक्कर रोड मालाखेड़ी नर्मदापुरम पंजीयन नंबर 242200097 को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
O/C नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

नर्मदापुरम, दिनांक 15/10/2025

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 10781

प्रतिलिपि :-
1.) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम।
3.) स्नेहा फर्नीचर मार्ट चक्कर रोड मालाखेड़ी नर्मदापुरम द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल
15/10/25

स्थान - गोकलधाम
कलोनी के सामने
नर्मदापुरम
दिनांक - 15/10/25
समय - 8 A.M.

पंचनामा

हम पंचगण हस्ताक्षर कर्ता यह तस्दीक करते है की आज दिनांक 15/10/25 को प्रात: 8 बजे के समक्ष सूचना के आधार पर गोकल धाम कलोनी के सामने संतोष यादव के मकान में बनी दुकान के संबन्ध में मकान मालिक के पुत्र सुधीर यादव से पूछने पर बताया गया की यह दुकान मेरे द्वारा हरिप्रसाद मालवीय S/O भगवान दास मालवीय स्नेहा फर्नीचर मार्ट मालाखेड़ी वालों को किराये से दी गयी है। जिसको दूरभाष पर सूचना देकर बुलाया गया एवं ताला खुलवा कर कर जांच की गयी जांच में दुकान में रखी सागौन चिरान पटिये नग 29 = 0.132 घ.मी. प्राप्त किये गये और मौके पर जप्ती नामा पंचनामा बनाया गया जप्त शुदा सागौन लकड़ी में कोई हेमर का निशान नही था सागौन चिरान पटिये ताजे गीले पाये गये।

पंचनामा लिखा सो सही है पढ़कर बाद हमारे द्वारा हस्ताक्षर किये गये पंचनामा लिखा सो सही है वक्त मौके पर काम आवें।

पंचनामा मेरे बाद बनाया

(हस्ताक्षर)

स्नेहा फर्नीचर मार्ट
संचालक
Hariprasad Malviya

हस्ताक्षर पंचगण

1) (हस्ताक्षर) सुधीर यादव

2) (हस्ताक्षर) SUJEET YADAV

3) (हस्ताक्षर) रणजीत मालवी

(हस्ताक्षर) वं.पा. चौरसी नारायण सिंह (हस्ताक्षर)

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया
(हस्ताक्षर)
उ. व. चौरसी
उ.व.क्षे.

मौका पंचनामा

स्थान - स्नेहा फर्नीचर मार्ट
पनकर रोड मालाखेड़ी.
दिनांक - 15/10/2025

हम नीचे लिखे हस्ताक्षरकर्ता / अंगूठा निशानी करने वाले पंचगण इस बात कि तस्दीक करते है कि आज दिनांक 15/10/2025 को श्रीमान वन मंडल अधिकारी महो. के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधि / प्रभारी वन वृत्त उड़न दस्ता दल के एक राह के सूचना के तहत स्नेहा फर्नीचर मार्ट मालाखेड़ी की जाँच की गई जाँच दौरान सागौन के 06 पल्ले दरवाजे की 03 फ्रेम. कटर मशीन लगी हुई मौके पर पाई गई दुकान मालीक की उपस्थिति में स्नेहा फर्नीचर मार्ट सील कर दिया गया।

मौका पंचनामा बनाया गया पढ़ कर सभी पंचो के समक्ष सुनाया गया. सुसंगत पाये जाने पर अंगूठा / हस्ताक्षर किये ताकि सही वक्त पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया
राजकुमार [illegible]
व.र.

हस्ताक्षर पंचगण

(1) [illegible] ~~स्नेहा फर्नीचर मार्ट~~

(2) [illegible] ज.पी. चौरासी उ.व.क्षे.

संचालक
Haripra[illegible]

(3) नारायण सिंह [illegible]

मेरे समक्ष पंचनामा बनाया गया-
[illegible]
ज.पी. चौरासी
उ.व.क्षे.

(14)

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.)
द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 2146 **नर्मदापुरम, दिनांक** 7-11-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत नर्मदापुरम सामान्य परिक्षेत्र में वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी नर्मदापुरम एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा आज दिनांक 07/11/2025 को श्रीनिवास सॉ मिल आरामशीन एवं फर्नीचर मार्ट कृषि उपज मण्डी के पीछे आई.टी.आई. नर्मदापुरम का मौका निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान आरा मशीन संचालक द्वारा बिल बुक वर्ष 2024 में कांट-छांट होने के कारण मौके पर सागौन काष्ठ का लेखा-जोखा मिलान नहीं हुआ।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 05, 07 एवं 15 एवं म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत श्रीनिवास सॉ मिल आरामशीन एवं फर्नीचर मार्ट कृषि उपज मण्डी के पीछे आई.टी.आई. नर्मदापुरम को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
O/C नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 11690 नर्मदापुरम, दिनांक 07-11-2025

प्रतिलिपि :–

1.) उप वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम ।
3.) श्रीनिवास सॉ मिल आरामशीन एवं फर्नीचर मार्ट कृषि उपज मण्डी के पीछे आई.टी.आई. नर्मदापुरम द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
O/C नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

स्थान - श्री निवास /फर्नीचर मार्ट
नर्मदापुरम

मौका पंचनामा

दिनांक - 07.11.2025

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता पंचगण इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 07.11.025 को श्रीमान वन मंडलाधिकारी महो, नर्मदापुरम के निर्देशानुसार प्रभारी उड़न दस्ता दल नर्मदापुरम एवं स्टाफ को हमराह लेकर श्री निवास सॉ मिल / फर्नीचर मार्ट जाकर बिल Book वर्ष 2024 में काट-छांट होने के कारण आरा मशीन एवं फर्नीचर मार्ट को पूर्ण तह: सील बन्द किया गया फर्नीचर मालीक श्री निवास राव की उपस्थिति में मशीन को सील बन्द किया गया फर्नीचर मालीक / सॉ मिल संचालक को क्रय-विक्रय बन्द करने हेतु निर्देशित किया गया।

मौका पंचनामा बनाया गया सभी पंचों के समक्ष पढ़ कर सुनाया गया सही पाये जाने पर हस्ताक्षर किये ताकि सनद रहे वक्त पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया
राजकुमारी मर्सकोले [signature]
वनरक्षक

पंचों के हस्ताक्षर
① [signature]
② दीपक
③

मशीन संचालक
Shrinivas
7470928358

पंचनामा मेरे समक्ष बनाया गया

(20)

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र..)
द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 1894 नर्मदापुरम, दिनांक 25-9-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में उप वनमंडलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार वनरक्षक सुमन धुर्वे एवं श्री अनिल अहिरवार वनरक्षक आज दिनांक 25/09/2025 को श्री राधे फर्नीचर मार्ट श्री गजेन्द्र मालवीय आत्मज श्री नन्हेलाल मालवीय इटारसी का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्नीचर मार्ट में कार्य किया जा रहा था। मौका स्थल पर मौजूद संचालक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का विधिसम्मत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, अर्थात श्री राधे फर्नीचर मार्ट इटारसी के पास विधिसम्मत अभिलेखों का होना नहीं पाया गया ।

अत: उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 05, 07 एवं 15 एवं म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05एवं18 के तहत राधे फर्नीचर मार्ट बजरंगपुरा (नाला मोहल्ला) इटारसी को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल
नर्मदापुरम, दिनांक 25-9-2025

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 10212

प्रतिलिपि :— 1) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।

2) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी।

3) श्री राधे फर्नीचर मार्ट इटारसी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल
25/9/25

पंचनामा

स्थान - श्री राधेश्याम फर्नीचर (2)
मार्ट राजेन्द्र मालवीय
(पापा मालवीय)

हम नीचे लिखे अंगूठा / हस्ताक्षर करने वाले पंचगण इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 23/09/2025 को श्रीमान उपवनमण्डलाधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार श्री राधेश्याम फर्नीचर मार्ट का छापामार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर फर्नीचर मार्ट के संचालन में कार्य किया जा रही थी। मौके स्थल पर संचालक से पूछताछ के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर भी न पाये गये। तत्पश्चात संचालक को निर्देशित किया गया। अपना कार्य बन्द करें अपने सम्बन्धित रिकार्ड वन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें।

मौका पंचनामा बनाया गया लिखा पढ़ पढ़कर सुनाया बाद अंगूठा / हस्ताक्षर किये गये जो सही व सत्य मौके पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया

पंचगण हस्ताक्षर

(1) राजेश
(2) अरविन्द
(3) रतेन्द्र

[signature]

सुभाष धुर्वे
वनरक्षक
अनिल अहिरवार वन

(12)

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 2232 नर्मदापुरम, दिनांक 13-11-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी के निर्देशानुसार वनचौकी प्रभारी बागदेव एवं अन्य स्टाफ द्वारा आज दिनांक 12/11/2025 को अनुराधा फर्नीचर मार्ट पुरानी इटारसी का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में स्टाक रजिस्टर बिल बुक से मौके पर सागौन काष्ठ का एवं लेखा-जोखा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत अनुराधा फर्नीचर मार्ट पुरानी इटारसी पंजीयन नंबर 241900032 को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 11983 नर्मदापुरम, दिनांक 13-11-25

प्रतिलिपि :-
1.) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी।
3.) अनुराधा फर्नीचर मार्ट पुरानी इटारसी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता पंचगण इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 12/11/2025 को श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय इटारसी म.प्र. के मौखिक आदेश अनुसार पुरानी इटारसी स्थित अनुराधा सर्विस मार्ट पहुंचे। अभिलेखों में त्रुटि होने के कारण अनुराधा सर्विस मार्ट को सर्विस मालिक श्री पवन कुमार के समक्ष सील बंद किया गया।

पंचनामा मौके पर बनाया गया सभी पंचों के समक्ष पढ़कर सुनाया और हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर पंचगण

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया

1. पवन कुमार
2. रघुनंदन पटेल
3. (हस्ताक्षर) समीर [illegible]
4. कुमार [illegible]

(हस्ताक्षर) नाकेदार [illegible]

(हस्ताक्षर)
अंकित कुमार
व.र.

(14)

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.)
द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 2112 **नर्मदापुरम, दिनांक** 01/11/25

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा आज दिनांक 31/10/2025 को तिवारी फर्नीचर मार्ट जुझारपुर इटारसी का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में स्टाक रजिस्टर बिल बुक से मौके पर सागौन काष्ठ का एवं लेखा-जोखा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 05, 07 एवं 15 एवं म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत तिवारी फर्नीचर मार्ट जुझारपुर इटारसी पंजीयन नंबर 241900053 को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 11451 **नर्मदापुरम, दिनांक** 01/11/2025

प्रतिलिपि :–
1.) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।
2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी।
3.) तिवारी फर्नीचर मार्ट जुझारपुर इटारसी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

(15)

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी

Mo. No. (9424792032) E-Mail Rotltarsi@mp.gov.in

क्रमांक / 3342 इटारसी ,दिनांक 31.10.2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल नर्मदापुरम सामान्य

विषयः– अभिलेखों के अभाव में फर्नीचर मार्ट अस्थाई तौर पर बंद करने वावत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 31.10.2025 को श्रीमान वनमंडलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य के निर्देशन में वन परिक्षेत्र इटारसी के अतंर्गत तिवारी फर्नीचर मार्ट जुझारपुर इटरसी का निरीक्षण किया गया। पाई गई अवैध वनोपन की लेखे से मिलान हेतु अभिलेखे दस्तावेज की मांग की गई जो प्रदाय नहीं किये गये ।

श्रीमान जी से अनुरोध है कि तिवारी फर्नीचर मार्ट के वैध दस्तावेज की जांच होने तक फर्नीचर मार्ट को अस्थाई रूप से सील करने का आदेश जारी करें।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
इटारसी सामान्य

Divisional Forest Officer Narmadapuram
16085
04/11/25

DFO
(T) Narmadapuram
04/11/25

केनजि X (12)

श्री मयंक सिंह गुर्जर (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम (म.प्र.)

द्वारा पारित आदेश

आदेश क्रमांक / संरक्षण / 2285 नर्मदापुरम, दिनांक 19-11-2025

नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में वनमण्डल अधिकारी नर्मदापुरम (सामान्य) के निर्देशानुसार वनचौकी प्रभारी बागदेव एवं अन्य स्टाफ द्वारा आज दिनांक 18/11/2025 को नितिन फर्नीचर मार्ट रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम गुर्रा का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में स्टाक रजिस्टर बिल बुक से मौके पर सागौन काष्ठ का एवं लेखा-जोखा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार मध्यप्रदेश वन विधि संग्रह में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 05 एवं 18 के तहत नितिन फर्नीचर मार्ट रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम गुर्रा पंजीयन नंबर 242200049 को आगामी आदेश तक मुहर बंद (sealed) किया जाता है।

(मयंक सिंह गुर्जर)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
o/c नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

पृष्ठांकन क्रमांक/संरक्षण/ 12310 नर्मदापुरम, दिनांक 19-11-25

प्रतिलिपि :-

1.) उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल नर्मदापुरम।

2.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी।

3.) नितिन फर्नीचर मार्ट रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम गुर्रा द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
o/c नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

(14)

पंचनामा

स्थान :- नितिन फर्नीचर मार्ट कुर्सी
दिनांक - 18/11/2025

हम नीचे हस्ताक्षर कर्ता पंचगण इस बात की तस्दीक करते है कि आज दिनांक 18/11/2025 को श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महोदय नर्मदापुरम (सा०) के निर्देश अनुसार ग्राम कुर्सी नितिन फर्नीचर मार्ट पहुँचे। निरीक्षण के दौरान नितिन फर्नीचर मार्ट के मालिक नितिन चौरे उपस्थित थे। अभिलेखो में त्रुटि एवं अभिलेखो की पूर्ति नहीं पाई जाने पर नितिन फर्नीचर मार्ट को सील बंद किया गया। एवं अभिलेखो की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। मौका स्थल पर मौके का पंचनामा बनाया पढ़कर सुनाया बाद सभी पंचों द्वारा अंगूठा/हस्ताक्षर किये पंचनामा बनाया जो सही मौके पर सम आवे।

पंचों के हस्ताक्षर

(1) [signature]

(2) श्री अनुप्रकाश चौरे

(3) [signature] लक्ष्मी कोकोरिया व.र.

(4) [signature]

पंचनामा मेरे समक्ष
परिक्षेत्र अधिकारी
[signature]
प्राधिकारी ...
...

पंचनामा मेरे द्वारा किया गया
[signature]
श्रीमति पूजा बारसे
व.र.

KLM UL

13/48 सर्ष 2025

(भाग तीसरा) 38

मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

वकुआ जुर्म की अव्यल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 13748/48 तारीख माह 19.11.025 सन् 200 ई.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत गोविन्द सिंह / मंगल सिंह चौहान ग्रा० खेरी सिलगेना, तहसील बुधनी जिला सिहोर (म०प्र०)

3. किस्म जुर्म भा० व० अधि० 1927 की धारा 52 क एवं म० प्र० वनोपज (व्यापार विनियमन) अधि० 1969 की धारा 5, 15, 16

4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ ग्रा० खेरी सिलगेना तह० बुधनी. जि० सिहोर (म०प्र०)

5. तारीख वकुआ जुर्म 19.11.025

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई. सूची अनुसार

7. नाम गवाहान ① जीवन थाउत व.र.
② जितेन्द्र चौधरी व.र.

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहिब रेंज को भेजा गया व० म० अधिकारी नामडापुरम सा०

मुकाम

दस्तखत फारेस्ट गार्ड
(हस्ताक्षर) अभितेन्द्र

तारीख 19.11.025 नाका नामडापुरम

Submitted to the D. E. O. .... Division

Range Officer ....

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फॉरेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिये।

(भाग तीसरा)

Exa -2

मोहकमा जंगल, मध्यप्रदेश

सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं विपीन तिवारी वल्द .... जाति वनपाल पेशा नौकरी साकिन नर्मदापुरम तहसील नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम का हूं.

जो कि जंगल आफिसर नर्मदापुरम ने तफसील माल नीचे लिखे मुताबिक जेर दफा 52 इंडियन फारेस्ट एक्ट सन् 1927 ई. के जप्त किया है, वो मेरे सुपुर्द आज तारीख 19/11/025 सन् 200 ई. को किया है. मैं इस करारनामे के बमूजिब उस माल को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूं कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई आफिसर जंगल तलब करे फौरन पेश करूंगा.

सागौन चरपट सूची अनुसार
तफसील माल सुपुर्दशुदा

तारीख 19 माह 11/025 सन् 200 ई.

दस्तखत या निशान बायां अंगूठा सुपुर्ददार का.

नाम गवाह जिसके रूबरू सुपुर्द किया गया :—

(1) जीवन यादव व.र.

(2) जितेन्द्र चौधरी व.र.

जप्ती पंचनामा

स्थान :- खैरी/खिलगोरा
योगेश्वरी फर्नीचर मार्ट
दिनांक :- 19/11/2025
समय :- 12.00 PM

हम सभी पंचगण इस बात कि तस्दीक करते है
कि आज दिनांक 19/11/2025 को टीम के साथ योगेश्वरी
फर्नीचर मार्ट खैरी खिलगोरा मे आये मौके पर टीपी.
एवं बिल बुक का मिलान किया गया मौके पर ओपन —
मात्रा से अधिक मात्रा 85 नग घनफीट मा 2.9779 घ० मी०
काष्ट का होना पाया तब उक्त काष्ट को वनोपज
काष्ट को जप्त किया गया एवं कार्यवाही पूर्ण किगई/
पंचनामा लिखा पढ़ा एवं पढ़कर सुनाया सही पाकर
हस्ताक्षर किये।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिखा गया
(हस्ताक्षर)
जीवनलाल साहू व.र.

विनीत कुमार

हस्ताक्षर मालिक
(हस्ताक्षर)

हलमता
(हस्ताक्षर)
प्रशांत नरवेरा
का.मा. वनपाल

रामेश्वर [illegible]

स्थान : ग्राम वेरी सिलगौना
दिनांक 19/11/2025

पूर्व तलाशी पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षरकर्त्ता पंचगण इस बात की सही-सही तस्दीक करते है कि आज दिनांक 19/11/2025 को वनमंडल नर्मदापुरम (वन विभाग) के वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशानुसार संबंधित वन अमले के द्वारा ग्राम सिलगौना वेरी तहसील बुदनी- मे अरविंद सिंह पटेल के यहाँ मुखबिर की सूचना पर काष्ठ जप्ती की कार्यवाही के पूर्व सभी वन अमले के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के द्वारा तलाशी दी गई जिसमे सभी के पास उनके पहने हुए कपडे के अलावा कुछ नही पाया गया।

पंचनामा लिखा पढ़ा एवं सभी को पढ़कर सुनाया जो सही पाया उसके बाद हस्ताक्षर किये गये जो वक्त मौके पर काम आवे।

पंचगण के हस्ताक्षर

(1) महेश उइके [signature]
(2) महेश गोवधपाठ [signature]
(3) राजेशयादव वरक्षक [signature]
(4) मनीष कुमार

तलाशी मेरे समक्ष दी गई
[signature]
गोविन्द सिंह

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया
[signature]
वीरेन्द्र रघुवंशी
व.र.

तलाशी पूर्व पंचनामा

स्थान - ग्राम खेरी सिलगेना
गोविन्द सिंह / मंगल सिंह चौहान
के मकान पर
दिनांक - 19/11/2025
समय - 1 30 PM

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता पंचगण इस बात की सही-सही तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 19/11/2025 को उड़न दस्ता दल प्रभारी नर्मदापुरम श्री महेन्द्र गौर वनपरिक्षेत्र अधिकारी नर्मदापुरम सा० एवं वन दल के साथ ग्राम खेरी सिलगेना में गोविन्द सिंह चौहान के मकान पर पहुंचकर उपवन मंडल अधिकारी सीहोर के सर्च वारंट क्रमांक 8462 दिनांक 19/11/2025 की तामिली कराकर मकान की तलाशी लेने के पूर्व समस्त वनदल द्वारा पंचगणों के समक्ष स्वयं की तलाशी दी गई। जिसका मौका पंचनामा लिखा गया।

पंचगण के हस्ताक्षर

मकान मालिक हस्ताक्षर

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया

[signature]
पिजेन्द्र सिंह रघुवंशी
व.र.

[signature]

[signature]
पवन कुमार ठाकरे व.र.

[signature]
गोप कुमार गौर
व.र.

[signature]
बृजेश पगारे व.र.

XI Warrant To Search Suspected Place of Deposit

क्र./शिविर/8462 सीहोर दि. 19-11-25 (Section-98)

Name महेन्द्र गौर, प्रभारी वनक्षेत्रपाल
(Designation) उड़नदस्ता प्रभारी, वृत्त नर्मदापुरम

WHEREAS information has been laid before me and on enquiry there-upon made, I have been led to believe.

that the गोविंद सिंह चौहान, सिगलेना, बुदनी (म.प्र.)
is used as a place for the disposit or sale of stolen property [or if for either of the other purpose inpressed in the section state the purpose in the words of the section)

This is to authorise and require you to search enter the said house (or other place) with such assistance as shall be required, and to use, if necessary, reasonable force for the purpose and to search every part of the said house (or other place. if the search is to be confined to a part, specity the part clearly) and be seized and take possession of any stolen or suspected timber and also any instrument and materials which you may reasonably believe to have been used for the commission of the offence and forth with to bring before me such of the said things as may be taken possession of returning this warrant with an endoresement fortifying what you have done under it, immediately upon its execution.

Given under my hand this ..19.. Nov 2025 day of 2025, 198 this search warrant is valid upto ..19.. Nov 2025, 5:00 P.M.

Date :- ..19.. Nov 2025

उप वनमण्डलाधिकारी
Sub. Divisional Forest Officer
Sehore Division (m.p)

गोविन्द सिंह
19/11/2025

Annexure- 04

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त,नर्मदापुरम म.प्र.

Phone (07574) 252521 E-Mail-ccf.hbd@mp.gov.in

क्रमाक/संरक्षण/ 4736 नर्मदापुरम, दिनांक 24/10/2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
संरक्षण
वनभवन तुलसी नगर
भोपाल

विषय:- नर्मदापुरम वृत्त के अंतर्गत नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल में इटारसी परिक्षेत्र की छीपीखापा बीट की निरीक्षण के सबंध में प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमाक/ वनअपराध/ 2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र सामान्य इटारसी की परिसर छीपीखापा में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किया गया । छीपीखापा परिसर में 700 ठूंठों का संज्ञान पूर्व में नहीं लेने के कारण निरीक्षण के दौरान वन अपराध प्रकरण क्रमाक/ 13707/74 दिनांक 18.9.2025 पंजीबद्व कर अवैध कटाई से परिलक्षित राशि रूपये 2,04,95,470 की वनहानि हेतु कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिये उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरूद्व शासन/विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी किये गये है। आरोप पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

क्र	कर्मचारी का नाम जिनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है	पदनाम	आरोप पत्र जारी किये जाने का पत्र क्रमांक व दिनांक
1	श्री शिवकुमार तिवारी	वनपाल तत्कालीन परिक्षेतत्र सहायक पांडरी	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11020 दिनांक 22.10.2025
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	वनपाल तत्कालीन परिक्षेतत्र सहायक पांडरी	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11018 दिनांक 22.10.2025
3	श्री राजेन्द्र कुमार नागवंशी	वनपाल तत्कालीन परिक्षेतत्र सहायक पांडरी	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11028 दिनांक 22.10.2025
4	श्री राजेश यादव	वनरक्षक तत्कलीन बीट गार्ड छीपीपखापा	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11022 दिनांक 22.10.2025
5	श्री राजेश सरयाम	वनरक्षक तत्कलीन बीट गार्ड छीपीपखापा	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11026 दिनांक 22.10.2025
6	श्री अजय कुमार गौर	वनरक्षक तत्कलीन बीट गार्ड छीपीपखापा	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11024 दिनांक 22.10.2025

F:\Drive E\Administration-1\CHARGESHEET 2018\छीपीखापा\Chippikhappa reeport.doc

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित रोस्टर अनुसार छीपीखापा बीट के निरीक्षण में अवैध रूप से काटे गये समस्त ठूंठों को गणना में नहीं लिया जाकर वास्तविकता से पृथक वनहानि प्रतिवेदित करने एवं तथ्याधारित बीट निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर अवैध कटाई छुपाने, वरिष्ठ को गुमराह करने तथा बीट में उपलब्ध अवैध कटाई के ठूठों का ड्रेसिंग कार्य अधिनस्थों से नहीं कराने एवं ठूंठ ड्रेसिंग के प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने के संबंध में श्री मानसिंह मरावी, सहायक वनसंरक्षक, उपवनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम का पत्र क्रमाक/ प्रशासन/ 4732 दिनांक 24-10-2025 द्वारा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रशासन-। भोपाल को प्रेषित किया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

इसी प्रकार निर्धारित रोस्टर अनुसार छीपीखापा बीट निरीक्षण में अवैध रूप से काटे गये समस्त ठूंठों को गणना में नहीं लिया जाकर वास्तविकता से पृथक वनहानि प्रतिवेदित करने एवं तथ्याधारित बीट निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर अवैध कटाई छुपाने, वरिष्ठ को गुमराह करने तथा बीट में उपलब्ध अवैध कटाई के ठूठों का ड्रेसिंग कार्य अधिनस्थों से नहीं कराने एवं ठूंठ ड्रेसिंग के प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न कर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर श्री महेन्द्र कुमार गौर, उपवनक्षेत्रपाल (कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल) तत्कालीन प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी, इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम का पत्र क्रमाक/ प्रशासन/4734 दिनांक 24.10.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

इटारसी सामान्य परिक्षेत्र में वर्ष 2023 से पदस्थ रहे वनक्षेत्रपाल सर्वश्री हरि ओम मनु, वनक्षेत्रपाल एवं श्री श्रेयांस कुमार जैन वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र में वन अपराध व अधीनस्थों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण नहीं होने के कारण वृहद स्तर पर छीपीखापा बीट में अवैध कटाई होने के लिये आरोप पत्र तैयार किये जा रहे है, जिसकी जानकारी पृथक से प्रेषित की जायेगी।

वृत्तस्तरीय उडनदस्ता दल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक बीट छीपीखापा का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा वास्तविक कटाई संज्ञान में न लेकर कम ठूंठ वन अपराध प्रकरण में दर्शाये जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने, अवैध कटाई छुपाने व वरिष्ठो के निर्देशों का गंभीरता से पालन न कर गुमराह करने हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम ने निम्नानुसारर आरोप पत्र जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

क्र	कर्मचारी का नाम जिनके विरूद्व अनुशासनिक कायर्वाही प्रारंभ की गई है	पदनाम	व.म.अ. सा नमर्दापुरम द्वारा आरोप पत्र जारी किये जाने का पत्र क्रमांक व दिनांक
1	श्री जगदीश प्रसाद बौरासी	वनपाल(कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल)	पत्र क्रमाक/11068 दिनांक 24.10.2025
2	श्री रामकुमार पटेल	वनरक्षक	पत्र क्रमाक/11070 दिनांक 24.10.2025
3	श्री संतोष योगी	वनरक्षक	पत्र क्रमाक/11072 दिनांक 24.10.2025
4	श्रीमति राजकुमारी	वनरक्षक	पत्र क्रमाक/11074 दिनांक 24.10.2025
5	श्री नारायण सिंह वर्मा	वनरक्षक	पत्र क्रमाक/11076 दिनांक 24.10.2025
6	श्री राकेश वर्मा	वनरक्षक	पत्र क्रमाक/11078 दिनांक 24.10.2025

इसी प्रकार वृत्तस्तरीय उडनदस्तां दल द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के मध्य बीट छीपीखापा के निरीक्षण में अवैध कटाई के पाये गये 356 ठूंठो के लिये उत्तरदायी निम्नलिखित कर्मचारियों के विरूद्व पूर्व में वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	कर्मचारी का नाम जिनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है	पदनाम	आरोप पत्र जारी किये जाने का पत्र क्रमांक व दिनांक
1	श्री शिवकुमार तिवारी	वनपाल तत्कालीन परिक्षेतत्र सहायक पांडरी	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 9332 दिनांक 1.9.2025
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	वनपाल तत्कालीन परिक्षेतत्र सहायक पांडरी	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 9334 दिनांक 1.9.2025
3	श्री राजेश यादव	वनरक्षक तत्कलीन बीट गार्ड छीपीपखापा	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 11445 दिनांक 22.11.2024
4	श्री राजेश सरयाम	वनरक्षक तत्कलीन बीट गार्ड छीपीपखापा	व.म.अ. सा नमर्दापुरम का पत्र क्रमाक/ 7070 दिनांक 30.6.2025

उपरोक्त आरोप पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

24/10/25

(अशोक कुमार भा.व.सेवा)
मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त,नर्मदापुरम म.प्र.
Phone (07574) 252521 E-Mail-ccf.hbd@mp.gov.in

क्रमाक/ प्रशासन/ I/699715/2025 नर्मदापुरम27-12-2025,
प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
प्रशासन-।
वनभवन तुलसी नगर
भोपाल

विषय:- अनुशासनिक कार्यवाही विरूद्व श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम
संदर्भ :- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमाक/वनिस/2025/732 दिनांक 23.12.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थ हैं। उक्त अवधि में नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल भोपाल द्वारा स्थानीय वन अमले के साथ दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किये जाने पर अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये। उपरोक्तानुसार भारी मात्रा में अवैध कटाई परिलक्षित होने के फलस्वरूप श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम के विरूद्व अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र प्रारूप प्रस्ताव एवं अभिलेखों की प्रतियॉ आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसारा

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त् नर्मदापुरम म.प्र.

पृ क्रमाक/ प्रशासन/ - नर्मदापुरम
प्रतिलिपि:

1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमाक/वनिस/2025/732 दिनांक 23.12.2025केसंदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त् नर्मदापुरम म.प्र.

-

-

परिशिष्ट 1

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थ हैं। उपरोक्त पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई उजागर होने के फलस्वरूप निम्न आरोप से आरोपित किया जाता है :-

आरोप क्रमाक 01:-

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई के संबंध में राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा निरीक्षण करने पर अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये जिससे कुल 20495770/- राशि की हानि परिलक्षित हुई है। आपके द्वारा वन अपराध प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।

इस प्रकार श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 2
श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के तथ्यों का विवरण:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल भोपाल द्वारा स्थानीय वन अमले के साथ दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किया गया। राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल ने निरीक्षण में अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये। प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख (कक्ष- संरक्षण) भोपाल का पत्र क्रमाक/ वन अपराध/ 2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई के दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक निरीक्षण उपरांत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 पंजीबद्ध किया गया जिससे कुल 20495770/- राशि की हानि परिलक्षित हुई है।

उपरोक्तानुसार छीपीखापा बीट हुई भारी अवैध कटाई को रोकने हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की हैसियत से श्री मयंक सिंह गुर्जर भा.व.सेवा उपवनसंरक्षक द्वारा कोई कारगार उपाय नहीं करते हुए अपने पदीय दायत्वोंि समुचित निर्वहन नहीं किया।

इस प्रकार श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उप-वनसंरक्षक, वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 3
श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम
(सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण भोपाल का पत्र क्रमांक/वन अपराध/2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन।
2. राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा किये गये बीट निरीक्षण में जारी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 ।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 4

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

1. श्री अमित कुमार साहू वनक्षेत्रपाल, राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल
2. श्री यू.जे. तिर्की वनपाल , राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

Annexure- 06

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त,नर्मदापुरम म.प्र.

Phone (07574) 252521 E-Mail-ccf.hbd@mp.gov.in

क्रमाक/ प्रशासन/ 97 नर्मदापुरम, दिनांक 6 /2 /2026

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
प्रशासन-I
भोपाल

विषयः- छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई के संबंध में आरोप पत्र जारी करने के संबंध में। संशोधित आरोप पत्र

संदर्भ :- 1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमाक/वनिस/2025/113 दिनांक 9.1.2026
2 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, प्रशासन I, भोपाल से दूरभाष पर प्राप्त निर्देश दिनांक 20.1.2026।
3 इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ प्रशासन/ 78 दिनांक 2.2.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल भोपाल द्वारा स्थानीय वन अमले के साथ दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किये जाने पर अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये। उपरोक्तानुसार भारी मात्रा में अवैध कटाई परिलक्षित होने के फलस्वरूप राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा प्रत्येक ठूंठ के संबंध में आंकलित कालावधि के अधार पर उक्त अवधि में पदस्थ रहे निम्नलिखित तत्कालीन वनमंडलाधिकारियों के विरूद्व अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र एवं अभिलेखों की प्रतियाँ आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

1- श्री डी.के. वासनिक, सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम पदस्थिति अवधि 25.4.2022 से 31.5.2023तक- आरोप पत्र संलग्न प्रेषित है।
2- श्री संदीप फेलोज, उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम- पदस्थिति अवधि दिनांक 1.6.2023 से 4.12.2023 तक- आरोप पत्र संलग्न प्रेषित है।
3- श्री अनिल चोपडा, उपवनसंरक्षक दिनांक 4.12.2023 से 18.3.2024 तक वनमंडलाधिकारी सामान्य हरदा के प्रभार के साथ साथ नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अतिरिक्त प्रभार में रहे। राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा की गई निरीक्षण में उक्त अवधि के 2 ठूंठ पाये गये जिसकी राशि रू 11200/- है। अतः हानि नगण्य होने से आरोप पत्र प्रस्तावित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री मयंक सिंह गुर्जर, उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की पदस्थिति अवधि 18.3.2024 से 9.1.2026 तक की संशोधित आरोप पत्र प्रारूप भी संलग्न प्रेषित है।

वन अपराध प्रकरण में दर्शाये अवधि में उपवनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम के पद पर श्री मानसिंह मरावी, तत्कालीन सहायक वनसंरक्षक ही पदस्थ रहे। उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र प्रारूप इस कार्यालय का पत्र क्रमाक/ प्रशासन/ 4732 दिनांक 24.10.2025 द्वारा पूर्व में आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार भा.व.सेवा)
मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

पृ क्रमाक/ प्रशासन/ 98 नर्मदापुरम, दिनांक 6 /2/2026

प्रतिलिपिः-

1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख, वन भवन, तुलसी नगर मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमाक/वनिस/2025/2025/113 दिनांक 9.1.2026 एवं इस कार्यालय का पृ.क्रमांक/ प्रशासन/79 दिनांक 2/2/2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण, वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल की ओर इस कार्यालय का पृ.क्रमांक/ प्रशासन/79 दिनांक 2/2/2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 1

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा, सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, दिनांक 25.4.2022 से 31.5.2023 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य के प्रभार में पदस्थ रहे। उपरोक्त पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई होने के फलस्वरूप निम्न आरोप से आरोपित किया जाता हैं :-

आरोप क्रमाक 01:-

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा, सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, दिनांक 25.4.2022 से 31.5.2023 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई के संबंध में राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा निरीक्षण करने पर अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये । उक्त 1280 ठूंठों की राज्य स्तरीय उदडनदस्ता दल द्वारा आंकलित कालावधी के आधार पर 36 वक्षों की कटाई आपके प्रभार अवधि में होना पाया है जिसमें गणना अनुसार शासन को रू 452023/- राशी की हानि परिलक्षित हुई है। आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की प्रभार में रहते हुए वन अपराध प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।

इस प्रकार श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा, सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करते हुए स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया ।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 2

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के तथ्यों का विवरणः-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा, सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, दिनांक 25.4.2022 से 31.5.2023 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य के पद पर पदस्थ रहे। नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल भोपाल द्वारा स्थानीय वन अमले के साथ दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किया गया। राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल ने निरीक्षण में अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये। प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख (कक्ष- संरक्षण) भोपाल का पत्र क्रमाक/ वन अपराध/ 2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल की इटारसी परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई का निरीक्षण दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 पंजीबद्व किया गया। राज्य स्तरीय उदडनदस्ता दल द्वारा आंकलित कालावधि के आधार पर उक्त 1280 ठूंठों से 36 वक्षों की अवैध कटाई आपके प्रभार अवधि में होना पाया है। जिसमें से जप्त काष्ठ कम किये जाने पर रू 452023/- राशि की हानि परिलक्षित हुए है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	गोलाई वर्ग	सागौन	सतकटा	योग	राशि
1	180 से ऊपर	1	0	1	82200
2	150 से 180	1	0	1	42800
3	121 से 150	9	0	9	234000
4	91 से 120	18	0	18	126000
5	61 से 90	6	1	7	10350
योग		35	1	36	495350
(-) जप्त वनोपज की कीमत			23 नग	1.069 घ.मी	43327
				शुद्व हानि	452023

उपरोक्तानुसार छीपीखापा बीट हुई अवैध कटाई को रोकने हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की हैसियत से श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा,

सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक द्वारा कोई कारगार उपाय नहीं करते हुए अपने पदीय दायित्वों समुचित निर्वहन नहीं किया।

इस प्रकार श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा, सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया ।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

<u>परिशिष्ट 3</u>

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

01. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण भोपाल का पत्र क्रमांक/वन अपराध/2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन।

02. राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा किये गये बीट निरीक्षण में जारी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 ।

03. बीट निरीक्षण एवं अन्य जप्ति की गणना पत्रक

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 4

श्री डी.के.वासनिक, भा.व.सेवा सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

1. श्री अमित कुमार साहू वनक्षेत्रपाल, राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल
2. श्री यू.जे. तिर्की वनपाल , राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 1

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 1.7.2023 से 4.12.2023 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य के प्रभार में पदस्थ रहे। उपरोक्त पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई होने के फलस्वरूप निम्न आरोप से आरोपित किया जाता हैं :-

आरोप क्रमाक 01:-

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 1.7.2023 से 4.12.2023 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई के संबंध में राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा निरीक्षण करने पर अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये । उक्त 1280 ठूंठों की राज्य स्तरीय उदडनदस्ता दल द्वारा आंकलित कालावधी के आधार पर 178 वक्षों की कटाई आपके प्रभार अवधि में होना पाया है जिसमें गणना अनुसार शासन को रू 2950067/- राशी की हानि परिलक्षित हुई है। आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की प्रभार में रहते हुए वन अपराध प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।

इस प्रकार श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 2

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के तथ्यों का विवरण:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 1.7.2023 से 4.12.2023 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य के पद पर पदस्थ रहे। नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल भोपाल द्वारा स्थानीय वन अमले के साथ दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किया गया। राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल ने निरीक्षण में अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये। प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख (कक्ष- संरक्षण) भोपाल का पत्र क्रमाक/ वन अपराध/ 2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल की इटारसी परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई का निरीक्षण दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 पंजीबद्व किया गया। राज्य स्तरीय उदडनदस्ता दल द्वारा आंकलित कालावधी के आधार पर उक्त 1280 ठूंठों से 178 वक्षों की अवैध कटाई आपके प्रभार अवधि में होना पाया है। जिसमें से जप्त काष्ठ कम किये जाने पर रू 2950067/- राशि की हानि परिलक्षित हुए है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	गोलाई वर्ग	सागौन	सतकटा	योग	राशि
1	180 से ऊपर	1	0	1	94000
2	150 से 180	11	0	11	548900
3	121 से 150	58	0	58	1763200
4	91 से 120	80	0	80	640000
5	61 से 90	22	0	22	37400
6	46 से 60	4	2	6	4080
7	31 से 45	0	0	0	0
योग		176	2	178	3087580
(-) जप्त वनोपज की कीमत			44 नग	2.379 घ.मी	137513
शुद्व हानि					2950067

उपरोक्तानुसार छीपीखापा बीट हुई भारी अवैध कटाई को रोकने हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की हैसियत से श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक द्वारा कोई कारगार उपाय नहीं करते हुए अपने पदीय दायत्वों समुचित निर्वहन नहीं किया।

इस प्रकार श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक,वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 3

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण भोपाल का पत्र क्रमांक/वन अपराध/2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन।

2 राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा किये गये बीट निरीक्षण में जारी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 ।

3 बीट निरीक्षण एवं अन्य जप्ति की गणना पत्रक

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 4

श्री संदीप फेलौज, भा.व.सेवा उपवनसंरक्षक, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

1 श्री अमित कुमार साहू वनक्षेत्रपाल, राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल

2 श्री यू.जे. तिर्की वनपाल , राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 1

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप(संशोधित)

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से 9.1.2026 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थ रहे। उपरोक्त पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई होने के फलस्वरूप निम्न आरोप से आरोपित किया जाता हैं :-

आरोप क्रमाक 01:-

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से 9.1.2026 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में भारी मात्रा में अवैध कटाई के संबंध में राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा निरीक्षण करने पर अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये1 उक्त 1280 ठूंठों की राज्य स्तरीय उदडनदस्ता दल द्वारा आंकलित कालावधी के आधार पर 1064 वक्षों की कटाई आपके प्रभार अवधि में होना पाया है जिसमें गणना अनुसार शासन को रू 17100938/- राशी की हानि परिलक्षित हुई है। आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की प्रभार में रहते हुए वन अपराध प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।

इस प्रकार श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 2

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये संशोधित आरोप के तथ्यों का विवरण:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक, दिनांक 18.3.2024 से 9.1.2026 तक वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम सामान्य की हैसियत से पदस्थिति के दौरान नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी सामान्य परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल भोपाल द्वारा स्थानीय वन अमले के साथ दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक बीट निरीक्षण किया गया। राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल ने निरीक्षण में अवैध रूप से काटे गये सागौन के 1242 एवं सतकटा के 38 ठूंठ कुल 1280 ठूठ पाये गये। प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख (कक्ष- संरक्षण) भोपाल का पत्र क्रमाक/ वन अपराध/ 2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल की इटारसी परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई का निरीक्षण दिनांक 9.9.2025 से 10.9.2025 एवं 12.9.2025 से 14.9.2025 तक किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 पंजीबद्व किया गया। राज्य स्तरीय उदडनदस्ता दल द्वारा आंकलित कालावधी के आधार पर उक्त 1280 ठूंठों से 1064 वक्षों की अवैध कटाई आपके प्रभार अवधि में होना पाया है। जिसमें से जप्त काष्ठ कम किये जाने पर रू 17100938/- राशि की हानि परिलक्षित हुए है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	गोलाई वर्ग	सागौन	सतकटा	योग	राशि
1	180 से ऊपर	16	1	17	1512800
2	150 से 180	98	0	98	4890200
3	121 से 150	460	5	465	13999250
4	91 से 120	372	6	378	2985000
5	61 से 90	70	15	85	125750
6	46 से 60	8	5	13	8400
7	31 से 45	5	3	8	1440
योग		1029	35	1064	235322840
(-) जप्त वनोपज की कीमत			2551 नग	113.529 घ.मी	6421902
शुद्व हानि					17100938

उपरोक्तानुसार छीपीखापा बीट हुई भारी अवैध कटाई को रोकने हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम की हैसियत से श्री मयंक सिंह गुर्जर भा.व.सेवा

उपवनसंरक्षक द्वारा कोई कारगार उपाय नहीं करते हुए अपने पदीय दायित्वों समुचित निर्वहन नहीं किया।

इस प्रकार श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा, उपवनसंरक्षक,वनमण्डलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते हुये स्वयं को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

<u>परिशिष्ट 3</u>

<u>श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये संशोधित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची:-</u>

<u>आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-</u>

1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण भोपाल का पत्र क्रमांक/वन अपराध/2025/10-10/4192 दिनांक 22.9.2025 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन

2 राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा किये गये बीट निरीक्षण में जारी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13707/74 दिनांक 18.09.2025 ।

3 बीट निरीक्षण एवं अन्य जप्ति की गणना पत्रक

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

परिशिष्ट 4

श्री मयंक सिंह गुर्जर, भा.व.सेवा वनमण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम (सामान्य) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची:-

आरोप क्रमांक 01 से संबंधित:-

1 श्री अमित कुमार साहू वनक्षेत्रपाल, राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल

2 श्री यू.जे. तिर्की वनपाल , राज्यस्तरीय उडनदस्ता दल, भोपाल

प्रस्तावक

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

Annexure- 07

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त,नर्मदापुरम म.प्र.

Phone (07574) 252521 E-Mail-ccf.hbd@mp.gov.in

क्रमाक/ प्रशासन/ 123 नर्मदापुरम, दिनांक 19 /2/2026

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
प्रशासन-I
वनभवन,भोपाल

विषयः- नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई के प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही के तहत संयुक्त विभागीय जांच संस्थित करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इटारसी परिक्षेत्र के छीपीखापा बीट में हुई अवैध कटाई के प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों का आरोप पत्र आपकी ओर प्रेषित किया गया है।

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	आरोप पत्र प्रेषित करने का क्रमाक एवं दिनांक
1	श्री डी.के.वासनिक	उपवनसंरक्षक,तत्कालीन व.म.अ. सा नर्मदापुरम	97 दिनांक 6.2.2026
2	श्री संदीप फेलोज	उपवनसंरक्षक,तत्कालीन व.म.अ. सा नर्मदापुरम	97 दिनांक 6.2.2026
3	श्री मयंक सिंह गुर्जर	उपवनसंरक्षक,तत्कालीन व.म.अ. सा नर्मदापुरम	97 दिनांक 6.2.2026
4	श्री मानसिंह मरावी	सहायकवनसंरक्षक, तत्कालीन उपवनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम	4732 दिनांक 24.10.2025

उपरोक्त में से श्री मानसिंह मरावी, तत्कालीन उपवनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम को म.प्र.शासन, वनविभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमाक/ 6/2/004/2026-Sec-1-10 दिनांक 13.2.2026 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।

वनवृत्त स्तर पर तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार आरोप पत्र जारी किया गया था।

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	आरोप पत्र जारी करने का क्रमाक एवं दिनांक
1	श्री हरिओम मनु	वनक्षेत्रपाल,तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी	प्रशासन/4740 दिनांक 14.1.2026
2	श्री श्रेयांस कुमार जैन	वनक्षेत्रपाल,तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी	प्रशासन/4738 दिनांक 14.1.2026

F:\Drive E\Administration-1\CHARGESHEET 2018\छीपीखापा\Combined DE letter.doc

3	श्री महेन्द्र कुमार गौर	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी	प्रशासन/4734 दिनांक 24.10.2025

इसी प्रकार वनमंडल स्तर पर निम्नलिखित कर्मचारियों को छीपीखापा में हुई अवैध कटाई के प्रकरण में आरोप पत्र जारी किया है।

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा आरोप पत्र जारी करने का क्रमांक एवं दिनांक
1	श्री शिवकुमार तिवारी	वनपाल	9332 दिनांक 1.9.2025
2	श्री अजय श्रीवास्तव	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	9334 दिनांक 1.9.2025
3	श्री राजेश सरियाम	वनरक्षक	7070 दिनांक 30.6.2025
4	श्री शिवकुमार तिवारी	वनपाल	11020 दिनांक22.10.2025
5	श्री अजय श्रीवास्तव	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	11018 दिनांक 22.10.2025
6	श्री राजेन्द्र कुमार नागवंशी	वनपाल	11028 दिनांक 22.10.2025
7	श्री राजेश यादव	वनरक्षक	11022 दिनांक 22.10.2025
8	श्री राजेश सरियाम	वनरक्षक	11026 दिनांक 22.10.2025
9	श्री अजय कुमार गौर	वनरक्षक	11024 दिनांक 22.10.2025
10	श्री जगदीश कुमार बौरासी	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	11068 दिनांक 24.10.2025
11	श्री रामकुमार पटेल	वनरक्षक	11070 दिनांक 24.10.2025
12	श्री संतोष योगी	वनरक्षक	11072 दिनांक 24.10.2025
13	श्रीमति राजकुमार मर्सकोले	वनरक्षक	11074 दिनांक 24.10.2025
14	श्री नारायण सिंह वर्मा	वनरक्षक	11076 दिनांक 24.10.2025
15	श्री राकेश वर्मा	वनरक्षक	11078 दिनांक 24.10.2025

प्रकरण में जारी किये गये समस्त आरोप पत्र समान विषयवस्तु से संबंध रखते है, जिस हेतु एक ही स्तर पर समुचित विभागीय जांच कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को जारी आरोप पत्र में वर्णित आरोपों की सत्यता की जांच हेतु म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 18 के अंतर्गत संयुक्त विभागीय जांच संस्थापित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उपरोक्त तीनों तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारियों तथा वनमंडल स्तर पर जारी आरोप पत्र की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। अतः समस्त प्रकरणों में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 18 के अंतर्गत संयुक्त विभागीय जांच संस्थापित किये जाने हेतु निवेदन है । संयुक्त विभागीय जांच संस्थित किये

जाने पर प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी पर लगाये गये आरोप से सबंधित अभिलेख की नस्ती जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा।

संलग्न:- 18 आरोप पत्र

19/2/26

(अशोक कुमार भा.व.सेवा)
मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

पृ;क्रमाक/ प्रशासन/ 124 नर्मदापुरम, दिनांक 19/2/26

प्रतिलिपि:-

1 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, संरक्षण, वनभवन, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सतर्कता/शिकायत, वन भवन भोपाल म.प्र. ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19/2/26

मुख्य वनसंरक्षक
नर्मदापुरम वनवृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

F:\Drive E\Administration-1\CHARGESHEET 2018\छीपीखापा\Combined DE letter.doc

श्री अशोक कुमार (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त , नर्मदापुरम (म.प्र.) द्वारा पारित

<u>आदेश</u>

I/677312/2025/भू-प्रबंध/ नर्मदापुरम , दिनाँक**17-12-2025**

विभागीय मेन्यूअल **2018,** भाग-**1** (फारेस्ट मेन्यूअल) की कंडिका क्रमांक **2.4.4.2** की उप कंडिका **IX** से प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नर्मदापुरम द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./**13104** दिनांक **10.12.2025** प्रेषित प्रस्ताव अनुसार नर्मदापुरम (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र-इटारसी अंतर्गत प्रशासनिक इकाई, परिसर-मानामऊ तथा छीपीखापा का आवश्यकता अनुसार निम्नानुसार पुनर्गठन किया जात है :-

क्र.	पुनर्गठन के समय स्थिति				पुनर्गठन उपरान्त स्थिति			
	परिसर का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.मे)	बीट का कुल रकबा (हे. मे)	परिसर का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.मे)	बीट का कुल रकबा (हे. मे)
1	मानामऊ	आर.एफ. 227	272.98	645.029	मानामऊ	आर.एफ. 227	272.98	451.189
2		आर.एफ. 226	193.84			आर.एफ. 225	178.209	
3		आर.एफ. 225	178.209		छीपीखापा	आर.एफ. 234	376.211	641.754
4	छीपीखापा	आर.एफ. 234	376.211	899.983		पी.एफ. 241	265.543	
5		आर.एफ. 228	258.229		नांदनेर	आर.एफ. 226	193.84	452.069
6		पी.एफ. 241	265.543			आर.एफ. 228	258.229	

Digitally signed by
Ashok Kumar
Date: 17-12-2025
14:00:07

(अशोक कुमार)
मुख्य वन संरक्षक
नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

प्रतिलिपि:-(1.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) म.प्र., भोपाल ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आंचलिक) कार्य आयोजना इकाई भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(3.) वन संरक्षक, कार्य आयोजना इकाई, नर्मदापुरम/शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(4.) वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5.) उप वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6.) परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) परिक्षेत्र इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ई-हस्ताक्षर)
मुख्य वन संरक्षक
नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.